भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3186

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सभी के लिए आवास

†3186. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 और अन्य शहरी आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो राज्य-वार स्वीकृत, पूर्ण और अधिभोग किए गए आवासों की संख्या की स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के शहरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में परिवहन, स्वच्छता, जल और आवास सहित शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो बजट, समय-सीमा तथा शुरू की गई परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास शहरी विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई तंत्र है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया जा सके और शहरी प्रवासियों की आवास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शहरी आवास और बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के नवीनतम मूल्यांकन, पहचानी गई कमियों, की गई सुधारात्मक कार्रवाई और इस उद्देश्य के लिए बजट उपयोग के बारे में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास, पानी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू

2.0, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0 और पीएम ई-बस सेवा जैसे विभिन्न मिशनों के माध्यम से टियर- II और टियर- III शहरों सहित देश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन, स्वच्छता, पानी और आवास प्रदान करने के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन कर रहा है। वित्तपोषण और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में स्लमवासियों सहित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 में किफायती किराया आवास (एआरएच) का एक समर्पित घटक है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.43 लाख आवासों सहित इन योजनाओं के तहत कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 113.85 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 24.11.2025 तक देश भर में 96.02 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना की निगरानी तीनों स्तरों पर की जाती है: शहर, राज्य और केंद्र सरकार। सीएसएमसी अन्य बातों के साथ-साथ आवासों की चरण-वार प्रगति और वित्तीय प्रगति सहित परियोजना निरूपण और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों को विभिन्न स्तरों पर मिशन की प्रगति की प्रभावी और कुशल निगरानी के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं विकसित करनी होती हैं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, ताकि इस योजना की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास पूर्ण हो जाएं और सौंपे जा सके।

एसबीएम-यू पूरे शहरों को लाभान्वित करता है और इसे 4,910 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वित किया जाता है। सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं। सीटी और आईएचएचएल मुख्य रूप से वंचित परिवारों को लाभान्वित करते हैं, जबकि पीटी आम जनता और अस्थायी आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, केंद्रीय निधि राज्य स्तरीय तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्य योजनाओं के आधार पर जारी की जाती है और फिर यूएलबी को दी जाती है। निधियां पूर्ण मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती हैं, वार्षिक आधार पर नहीं। एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता के रूप में 36,465 करोड़ रुपये शामिल हैं। अक्टूबर 2019 तक, 63.81 लाख आईएचएचएल (लक्ष्य का 108%) और 6.36 लाख सीटी/पीटी सीटों (लक्ष्य का 125%) के निर्माण के बाद 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी यूएलबी को ओडीएफ घोषित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ निरंतर बातचीत, साप्ताहिक व्यय समीक्षा और केन्द्रीय दलों द्वारा क्षेत्र दौरों के माध्यम से प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

अमृत योजना के तहत, पूरी मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 36,035.79 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया गया है। अब तक, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए अमृत परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 34,900.97 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख उददेश्यों में से एक है। इस मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के लिए कुल आवंटित 66,750 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की तुलना में अब तक 66013.77 करोड़ रुपये अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन अनुमोदित परियोजनाओं में 1,18,226.61 करोड़ रुपये की 3,516 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 67,840.59 करोड़ रुपये की 588 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं।

शहरी परिवहन शहरी विकास का एक जरूरी हिस्सा है, जो राज्य का विषय है। इस प्रकार, प्रदूषण को कम करने के लिए पहल, सड़क पर बढ़ती यातायात की भीड़ को कम करने के लिए उपाय संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। शहरी परिवहन मामलों के लिए केंद्रीय मंत्रालय होने के नाते, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों/यूएलबी/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए विभिन्न मार्गदर्शक दस्तावेजों को अधिसूचित किया है। नीतिगत पहलों के अलावा, वर्तमान में देश के 25 शहरों में लगभग 1,083 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क (55 किमी आरआरटीएस सहित) चालू है। इसके अलावा, पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत के साथ शहरी क्षेत्रों में बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को पीएम-ई-बस सेवा योजना शुरू की गई थी। अब तक 10,000 बसों में से इस मंत्रालय ने पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत 9,360 बसों को स्वीकृति दी है।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में पीएमएवाई-यू सहित सभी केंद्रीय शहरी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक का मूल्यांकन 2024 में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा किया गया है।

*****

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3186 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत	पूर्ण	सौंपे गए
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,921	11,14,707	10,27,099
2		बिहार	4,45,057	1,97,190	1,97,139
3		छत्तीसगढ	3,05,749	2,61,679	2,47,980
4		गोवा	3,172	3,172	3,172
5		गुजरात	10,22,723	9,58,021	9,19,724
6		हरियाणा	1,32,626	72,257	72,241
7		हिमाचल प्रदेश	14,017	11,863	11,845
8		झारखंड	2,43,345	1,63,929	1,61,477
9		कर्नाटक	5,77,472	3,97,716	3,56,938
10		केरल	1,62,101	1,38,512	1,38,411
11		मध्य प्रदेश	10,00,700	8,89,367	8,78,956
12		महाराष्ट्र	12,72,119	10,23,094	9,46,130
13		ओडिशा	2,23,951	1,68,285	1,62,939
14		पंजाब	1,50,130	1,01,486	1,01,184
15		राजस्थान	3,46,239	2,55,541	2,50,108
16		तमिलनाडु	6,78,777	6,16,828	5,70,472
17		तेलंगाना	3,62,173	2,24,254	1,80,386
18		उत्तर प्रदेश	21,01,051	17,14,741	16,80,728
19		उत्तराखंड	66,341	45,124	41,518
20		पश्चिम बंगाल	6,17,572	4,97,474	4,96,794
उप-कुल (राज्य)			**1,16,73,236**	**88,55,240**	**84,45,241**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,346	8,103	6,887
22		असम	1,87,022	1,39,369	1,39,369
23		मणिपुर	56,045	20,591	20,591
24		मेघालय	7,071	2,737	2,737
25		मिजोरम	39,616	33,098	33,098
26		नागालैंड	31,067	29,588	29,556
27		सिक्किम	299	219	219
28		त्रिपुरा	90,313	80,815	80,815

उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)			**4,24,779**	**3,14,520**	**3,13,272**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	377	234	48
30		चंडीगढ़	1,275	1,275	1,275
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	10,197	9,750	9,413
32		दिल्ली	31,346	31,346	31,346
33		जम्मू और कश्मीर	45,112	34,453	34,453
34		लद्दाख	1,434	934	934
35		पुदुचेरी	18,248	12,471	12,471
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**1,07,989**	**90,463**	**89,940**
कुल योग			**122.06 लाख**	**96.02 लाख***	**93.39 लाख***

* पीएमएवाई-यू मिशन के दौरान पूर्ववर्ती योजना के पूर्ण किए गए 3.42 लाख आवास और सौंपे गए 4.90 लाख आवास शामिल हैं।